भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 723

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

भू-जल प्रबंधन

723. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण ने भारत में भू-जल प्रबंधन के नियंत्रण से संबंधित कोई दिशानिर्देश या रूपरेखा जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भू-जल प्रबंधन परियोजनाओं के संबंध में निजी/विदेशी संस्थाओं के साथ कोई सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (घ) देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षा) अधिनियम, 1986" की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए देश में उद्योगों/अवसंरचना/खनन परियोजनाओं के द्वारा भूमि जल के निष्कासन को विनियमित करता है जिसके लिए दिशानिर्देश/मानदंड बनाए गए हैं जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान दिशानिर्देश दिनांक 15.11.2015 से लागू हैं जोकि वेबसाइट http://cgwa-noc.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए ने दिनांक 12.12.2018 की राजपत्रित अधिसूचना एसओ 6140(ई) के द्वारा देश में भूमि जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन हेतु नए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। तथापि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने दिनांक 03.01.2019 के आदेश के द्वारा यह निर्देश दिया है कि अधिसूचित दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने मारवी पार्टनर्स (ग्रामीण स्तरीय प्रयासों के माध्यम से जलभृत पुनर्भरण का प्रबंधन तथा सस्टेनिंग भूमि जल उपयोग) के साथ संयुक्त रूप से "ऐम्पॉवरिंग विलेज कम्युनिटीज फॉर ए सस्टेनेबुल वाटर फ्यूचर : ए रिसोर्स बुक फॉर विलेज लेवेल पैरा - हाइड्रोजियोलॉजिस्ट" तैयार की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, सीएसआईआरओ भूमि एवं जल, ऑस्ट्रेलिया, एरिड कम्युनिटीज तथा टेक्नॉलाजीज, भुज और विकास सहयोग केन्द्र, अहमदाबाद शामिल है। यह एक ऐसा कदम है जोकि जल के सतत भविष्य को सुनिश्चित करते हुए भूमि जल संसाधन प्रबंधन में ग्रामीण समुदायों की प्रतिभागिता लेने में मदद करेगा। "

*****